

## The United Provinces Excise Act (Uttaranchal Amendment) Act, 2001 Act 9 of 2001

Keyword(s): Liquor, Manufacture, Country Liquor

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

हिर्देशक विकास के किया है है कि किया के किया के

अधिनवस्य कर । अस् सामन्ति नव (अस्य असी सूच अधिनसम् क्रिकेट स्थाप के साथ स्थाप की राजधारा (अस्त) निकास दिया। सन्धानमान्त्र 196 July 1964 - 1864 - 1864 - 1864 - 1866

Charle payers in the con-Chief Children Coll 120 APRIL (1) बार 12(1) के अपनन्त्री के उत्तराष्ट्र आशाह किये एवं जन्मान-शहरू अभेष्ट पराणां

उत्तराचल सरकार द्वीरी प्रकाशित

面积 海绵发星星形

विधायी पौराशष्ट

विकास का क्रिक्ट वर्ग विकास

(ए) एस. वियर, पो**र्क) सहग्रह्म तथा अहमि**केणिवत

करीमा**रित्तराचल अधिवियम)** मिला हु (१६)

offs on ठीड क on.ooह्देहरादून, मगलवार, 22 मई, 2001 ई0(fb)

(है) शराब, कार्तिस्म केले 250 मार्च केलियों

वर्षात वह वह वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

नया हो (जोष्**डिमिस्स कासार हाट**को उक्तर)

प्रविद्यार्थिएवं औसदीय कीर्य अवस्मानी अध्यक्ष (ह)

ाध्या कार्य कार्य कार्य / विधायी एवं ससदीय कार्य / 2001 देहरादून, 22 मई. 2001

660.00 වන ජූව අප මෙහ 75.00 Vic Hill (Goffiff)

<u>अधिस्चना</u>

(क्ष) करता १३ के जमकारों के अच<mark>यनी</mark> विचीत किये करें उत्पाद-शुक्ताराच्य पद्मनी भर ः सन्तर-निधाम कार्यः वास्त्रीत-स्तरन

<del>--''भारत का संविधान'' के अनुऋदेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान समा द्वारा</del> पारित संगुक्ति प्रान्ति अधिनियम (उत्तरिचिल संरोधिन) विधेयक रि200 पर दिनाक 22 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांवल अधिनिवम संख्या 09, सन् 2001 के रूप में सर्वसीधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किसी/ज़ंगतारहै। कर्णकी काल स्थात किका कारण विश्वी सींय्क्त ग्रीन्त आविकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, र्2001

(उत्तरांचल मामिनियम, संख्या १९०: सन् २००१) ज्याति के १७७० संयक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम, तकक कान्त्रत्तराचन राज्याके वितर्ध।अर्धतर संशोधन शराद के संदूध मंगूजी के लिक

त्रके कहा और वर वदावक

अधिनियम

<sup>ाहि</sup> <sup>08</sup>मारित गंगरिंग्य**ेके बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधीन** समील्द्वीरा निम्नलिखित समिनियस बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) संक्षिप नाम और अधिनियम, 2001 कहा जावेगा।

११३१ अस्टिस १५ सम्पर्धिक मार्का स्थानिक साम्युर्धिक राज्य में लागू होगा। (3) यह पहली अप्रैल, 2001 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2-संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या ४, सन् 1910), अधिनियग सं0 4, रान् 1910 की <sup>पाच</sup> जिसे आगे भूल अधिनियम, कृंही जायेग्राह, की धारा 12 की उपधारा (3) को निकाल दिया 12 का रांशोधन जायेगा ।

धारा 28 का शंशोधन

3-मूल अधिनियग की धारा 28 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :

(क) घारा 12(1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति–शल्कः

मेंद्र विदेशाद-शुस्कारोप्य पदार्थ का विदेशा शी शराब (ताडी को छोड़कर) 90.00 रु० प्रति वर्ण लीव मारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रजित शराब जिससे कि वह में सहिद्धियाँ हों। में आरत में खायतित-संसव-के--संदुश-मालूम-हो-और--शोधित--विधायी परिशिष्ट स्प्रिट : (ए) एल, बियर, पोर्ट्स्ड)साहुड्ड्र तथा अन्यकिण्वित 60.00 रु० प्रति व0 ली० (बी) सुगंधित स्पिद्धाः (भौजन्द्रीय क्राइस्मान सुसाधनिक विनिर्भितियों च्ये छोड़कर) ==600:00 क्0 प्रति बंग ली० off of तीय of 00.000देहराद्न, मंस्अवार, 22 सई, 200 म्झिंग्र(मि) (डी) शराब, कार्डिमुल् निश्नण् तुथा <sub>। विक्रिर्मितियाँ</sub> गया हो (औषधिरितिथी भेषेजी) को छोडकर) 600.00 रु0 प्रति ब0 ली0 (इ) ब्राण्डी, जित्तः।व्हिहेकी; स्में: होधितः।स्पदः और अन्य प्रकार की ऐसी स्थिट जिसका अन्यथा १००८ हाल अञ्चल के अन्यथा उल्लेख न किया गया हो १००८ हाल ६२ अगुरुवर्ड 600.00 रु० प्रति बढ लीठ

मांग 3.

,0 kg

अधिसन्स

75.00 रु० प्रति किलोग्राम

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थी पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क :

<u>नेरंग ने कन्यांगढ़</u> विद्यात एका द्वारा क्त १९०० के ब्रह्मकाली **स्ट्रणकार्यकालीम (महार्श्व क्रिक्स) स्वर्धकाली स्ट्राव्यकारी-स्ट्रिक्स, इर**ाल कर्मार प्रकार की उर्देश कर प्रमुख्यांच्या कुल्लीनिया कार्या <u>कर प्रस्त जनार हो प्रस्त हो अर्थन</u>िया की सामार्थ

- देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित आक्केंटिसिकी छात्रीकर ।याह ।वाव्यक्रीक अप शृष्ट्रियाः ग्रीस् व्हायश्रिक्षः अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) (अस्त्रीमयम् ५५०)।
- ं मारत में निर्मित श्रीस्थिइसं प्रिकीर पेरिकेंद्रत यी रिजितका प्राप्त मध्यस्य प्रान्त आरकारी अधिमेर्पेस् तमार मित्रार स्मान्स्य कान्यस्य क्रिकेवीर्धाः मित्रपाद (स्पर) ्आयातित शराब के संदृश मालुम् हो (दियुर को 600.00 रु० प्रति ब० ली० ंछोङ्कर) अधिनियम

अस्त्रीभारवार्थे सरपुराविक वियुद्ध अस्तराहर के जनसङ्ख्या के कार्य प्राची के के के कि के के कि के कि

5,00 रुव पति किली ग्रीम े सूर्य किन्न के के स्थापन स्थापन सामन स्थापन के स्थापन के स्थापन स्थापन के स्थापन के स्थापन के किन्न के किन्न

अधिनियम् २००५ कन्नः जायोगाः।

```
(ग) परिवहन किये गये जत्माद-शुल्कारीच्य पदार्थी पर जत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क
       ा मदेशार (। जत्याद्र-ेशुल्कारोपीय प्रदार्थः काः विवस्पारीः की (१८) (१०) शुल्काकी, अधिकृत्म (वस्
                                            क्राप्ट-इस्टिस २२ किंग्याम प्रतिसक्ताए-इस्टिस स्वीति व विनायक्त

    देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)

                                                                                                                                                            90.00 रु0 प्रति बं0 ली0
              TO THOUGHT BY THOSE
                                                                                                       initial to brow inflaming pippin
                        भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित
          शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत (में का कार्य में का
                        आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित
                                                                         भारपुर में निर्मित और इंस प्रकार मेरिकृत मा रिजित
                        (ए) एल, बियर, पोर्टर, साइड्र<sub>न</sub> तथा अन्य क्रिपिवत 👸 60.00 हुए प्रति हु० ली०
                        (बी) सुगंधित स्प्रिट (औषुम्रीय लेहाथाः प्रसामनिक् क कार्याः कार्राक्षाः
                                     विनिर्मितियों को छोडकर)
                                                                                                                                                         600.00 रु० प्रति ब० ली०
            ्<sub>र व</sub>(सी); वाङ्ह्<sub>र अगल्ड</sub>
                                                                        ा व्यक्ति काल एक्ट प्रकार े 600.00 हुए स्मृति वर लीव
                        (ঙী) शराब, कार्डियल, मिश्रुणुक तथा ुविनिर्मितियाँ) ১৮টা এইছিচু ((১)
        १६८० वह हो एजिनमें क्षिप्रदेशों जिनका अन्यथा उल्लेख हा क्रिया कि हिस्सीनिनिन
      ां or ही गाग्राह हो (अमिधि तथा मेषज को छोड़कर)
                                                                                                                                                       600.00 रुश्ताप्रतिह्रव० ली०
                       (इ) बाण्डी, जिन, व्हिस्कीम्सम्मित्रमेविताध्यस्य हार्याच, काश्चित काराप्त (ह)
                                  अन्य प्रकार की ऐसी सिक्ष्य जिह्यका अनुस्थान सन्तेष्या कि 515 मिनारी
        ं कि का इसि किया तासा हो।
                                                                                    (फ्रक्ट्रॉय के क्रिक्ट्राधा तथा नेपज् को फोड़कर)
                                                                             (इ) बाण्डी, जिल, व्हिस्की, रम, शांधित स्पिट और
                     भाग
          3
                                                                               माप्रांत्रकी त्रीसुन्धुनुन्धुनुनुनुनु ऐसी रिप्रट जिसका अन्यथा उल्लेख
      हुछ्छ, एए क्रिक्स वर्ग क्रिक्स
                                                                                                                                                  न किया गर्या हो
     (प्र)-प्राय-17:के अमीत) दिसेशाक्षे किसी ताइसेस के अल्पान किसीताल्या समृद्धीत
         2001 (जनसंबन अधादेश संस्था 02, वक्षाइन्ह्रम् इन्ह्रम् अधादेश संस्थात विकास स्थापन
                              उर्त्पादि<sup>क्र</sup>शिल्कारोप्य पदार्थ का विवरण
          मद
                                                                                                                                                       शुल्क की अधिकतम दर
                        (रामा अपित वर्षि)
          संo
                      देशी शञ्जबी:(ताड़ी को छोड़कर)
                                                                                                                                                         90.00 रु० प्रति ब० ली०
                     भारत में निर्मित और इस प्रकार प्रिकृत या रजित अर्थ है। अर्थ प्रकार प्रकार प्रकार या रजित आप है। जिस्से प्रकार प्र
                     राराव जिससे कि वह सुस्ताद या रंग में भारत में-
                     ों कि तर्ने प्रिक्ति के सिंह हैं कि निर्मा हो और है। इसके कि तक्ति का कार्य के somewhat is somewhat a surface of same of the somewhat is 
                     _xciso Acr (Intergnetral Amendment) A.a., 200 (Utterancipal Auniniyam no, 0s of 200) विक्री
  ०८ १००१ (ए)) स्वल्य विवरः पार्देर्ञ साइङ्ररः लुखाः अन्य-किणिवृतः ्र : :60-00: छु० । प्रतिः वृशः सीर्वः ः ः
                     (बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक
                                                                                                                                                                                                                 May 22, 2001.
                    विनिर्मितियों को छोड़कर)
(सी) वाइन TOA SECURE PROVINCES EXCISE ACT 000.00 रु० प्रति ब० ली० (सी) वाइन 1005 ACT ACENDMENT) ACT 7000.00 रु० प्रति ब० ली० (डी) शराब, कार्डियुलुऽ रिक्सा तुआ्रा विनिर्मितियों ।
  |As passed by the Legislathक्A हुड छार्न्स सम्मान निक्क कि प्रमान कि प्रमान कि प्रमान कि प्रमान कि public
                                  गया हो (औषधि तथा मेंधुजाको छोडकर)
                                                                                                                                                    600.00 रु० प्रति ब0 ली0
                    (इ) बाण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और
                              अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसकी अन्यथा उल्लेख
            offo or हिम्नुतक्ष्युकुपृत्रवे United Provinces Excise Act, 1970फिराइ Jagali Ealion to
                                                                               Uttaranchal State
                                                                                                                                                       75.00 रु० प्रति किलोग्राम
<del>-2o it enacted by the Uttaranchal Vidhen Sobha in the tifty escend years t</del>if
                                                                                                                            the Republic of India as follows:
1. (1) This Act may be called the United Provinces Excise Act (Uttaranchal
                                                                                                                                                                                                                bus site hous
```

Amendmentt, 2001

footble programme

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called the United Provinces Excise Act (Ultaranchal Amendment), 2001.

- (2) It extends to the whole of the Uttaranchal State.
- (3) It shall be deemed to have come into force on April 1, 2001.
- 2. In section 12 of the United Provinces Excise Act, 1910 (Act No. 4 of 1910), Amendment of hereinafter referred to as the principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

section 12 of the Act No. 4 of 1910

3. In section 28 of the principal Act, in sub-section (3) for clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted, namely:

Amendment of section 28

## (a) Countervailing duty on excisable articles imported in accordance with the provisions of section 12 (1):

| No.                            | Description of excisable articles  | Maximum rate of duty  |
|--------------------------------|--|---|
| 1.<br>2.                       | Country Liquor (excepting Tari) Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit:  (a) Ale, beer, porter, cider and other fermented  | Rs. 90.00 per bulk litre  |
|                                | liquors (b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet   | Rś. 60.00 per bulk litre  |
|                                | preparations)  | Rs. 600.00 per bulk litre   |
|                                | (c) Wines  | Rs. 600.00 per bulk litre   |
|                                | <ul> <li>(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)</li> <li>(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other</li> </ul>   |   |
|                                |  | Rs. 600.00 per bulk litre   |
|                                | sorts of spirit not otherwise specified.   | Rs. 600.00 per bulk litre   |
| 3.                             | Bhang  | Rs. 75.00 per kilogram  |
| Item                           | Description of excisable articles  | Maximum rate of duty  |
| No.                            | ,  |   |
| No.<br>1.<br>2.                | Country Liquor (excepting Tari and other fermented alcoholic beverages) Liquor manufactured in India and sophisticated   | Rs. 90.00 per bulk litre  |
| 1.                             | Country Liquor (excepting Tari and other fermented alcoholic beverages)  |   |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.           | Country Liquor (excepting Tari and other fermented alcoholic beverages) Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India (excepting beer) Beer brewed in India   | Rs. 90.00 per bulk litre Rs. 600.00 per bulk litre Rs. 60.00 per bulk litre Rs. 75.00 per kilogram              |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.           | Country Liquor (excepting Tari and other fermented alcoholic beverages) Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India (excepting beer) Beer brewed in India Bhang   | Rs. 90.00 per bulk litre Rs. 600.00 per bulk litre Rs. 60.00 per bulk litre Rs. 75.00 per kilogram              |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>(c) Ex | Country Liquor (excepting Tari and other fermented alcoholic beverages) Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India (excepting beer) Beer brewed in India Bhang cise or countervailing duty on excisable articles | Rs. 90.00 per bulk litre Rs. 600.00 per bulk litre Rs. 60.00 per bulk litre Rs. 75.00 per kilogram transported: |

| Item<br>No. | Description of excisable articles   | Maximum rate of duty                                   |
|-------------|---|--|
|             | (b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations) (c) Wines (d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations   | Rs. 600.00 per bulk litre<br>Rs. 600.00 per bulk litre |
| <b>3</b> .  | containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)  (e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified.  Bhang   | Rs. 600.00 per bulk litre                              |
|             |   | Rs. 600.00 per bulk litre<br>Rs. 75.00 per kilogran    |
|             | cise duty on excisable articles manufactured, culticence granted under section 17:  | vated or collected unde                                |
| item<br>No. | Description of excisable articles   | Maximum rate of duty                                   |
| 1.<br>2.    | Country Liquor (excepting Tari) Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit:  (a) Ale, beer, porter, cider and other fermented   | Rs. 90.00 per bulk litre                               |
|             | liquors (b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet  | Rs. 60.00 per bulk litro                               |
|             | preparations) (c) Wines (d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations  | Rs. 600.00 per bulk litro<br>Rs. 600.00 per bulk litro |
|             | containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)  (e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other   | Rs. 600.00 per bulk litre                              |
| 3.          | sorts of spirit not otherwise specified.<br>Bhang   | Rs. 600.00 per bulk litre<br>Rs. 75.00 per kilogram    |
|             | cise duty on excisable articles manufactured in ar<br>y distillery or brewery licensed under section 18:  | y distillery established                               |
| ltem<br>No. | Description of excisable articles   | Maximum rate of duty                                   |
| 1.<br>2.    | Country Liquor (excepting Tari and fermented alcoholic breverages) Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit:  (a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors  (b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)  (c) Wines  (d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations | Rs. 90.00 per bulk litre                               |
|             |   | Rs. 60.00 per bulk litre                               |
|             |   | Rs. 600.00 per bulk litre<br>Rs. 600.00 per bulk litre |
|             |   |  |
|             | containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)  (e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other   | Rs. 600.00 per bulk litre                              |
|             | containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)  | Rs. 600.00 per bulk litre                              |

By Order, (P. C. PANT) Sachiv.